Dr.Raman Kumar Thakur

Assistant professor (Guest)Department of Economics ,D.B.College, Jaynagar,Madhubani.Class:-B.A.part-1(H)Paper-2nd.Date:-27.08.2020.

Lecture n.- 32.

Topic:- "भारत में कृषि विपणन प्रणाली"(Agriculture marketing System in india)

भारत में कृषि उत्पादों का विपणन निम्न संगठनों के माध्यम से होता है :-1)गांव में बिक्री ।2)मंडियों में बिक्री। 3)सहकारी समितियों द्वारा विक्रय। 4) सरकार द्वारा क्रय,एवं

5). बंदरगाहों पर बाजार ।

*** कृषि विपणन(Agricultural Marketing):- कृषि उपज का एक अतिरिक्त भाग बाजार में बेचना ही कृषि विपणन कहलाता है। अर्थात कृषि विक्रेता (सामान्यतः किसान या उत्पादन) तथा कृषि विपणन के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो इस प्रकार से देखा जा सकता है:- 1) कृषि उत्पाद का उत्पादन करना।**

2) माल का एकीकरण करना।

3) कृषि उत्पाद को संवारना।

4) कृषि उत्पादों को गोदाम में रखना।

5) जोखिम वहन करना।

6) विक्रय करना।

7) कृषि उत्पादों का वर्गीकरण करना।

8) कृषि उत्पादों को मंडी तक ले जाना। 9) वित्त व्यवस्था करना।

* कृषि विपणन के संबंध में सरकार की नीति:- भारत में कृषि विपणन के दोषों को दूर करने के लिए सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही पर्याप्त कदम उठाने शुरू कर दिए थे कृषि विपणन के दोषों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए गए हैं:-

1) नियमित बाजार । 2) कृषि पदार्थों का वर्गीकरण एवं प्रभावीकरण।

3) माल गोदामों की व्यवस्था।

4) कृषि मूल्य स्थिरीकरण ।

5) राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडार परिषद की स्थापना।

6) यातायात की सुविधाओं का विकास।

7) विपणन एवं जांच निदेशालय का गठन।

8) न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा।

9) भंडारणो का विस्तार।

10) कृषि वस्तुओं के मानकीकरण के लिए 'AGMARK'का प्रयोग।

* कृषि विपणन आई.टी.सी. द्वारा निजी प्रयास:- टीई- चौपाल एक बिजनेस प्लेटफार्म है। यह संगठनात्मक उप-प्रणालियों और अंतर फलको से मिलकर बना है जो किसानों को विश्वव्यापी बाजारों के साथ जोड़ता है। आई.टी.सी. ने निम्नलिखित तीन बिजनेस सिद्धांतों के आधार पर इस प्लेटफार्म को संचालित करने का विकल्प चुना है:-क). निशुल्क सूचना और जानकारी जिससे किसान की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो।

ख). लेन-देन में विकल्प की स्वतंत्रता ।

ग) संचारात्मकता द्वारा, लेन-देन के लिए अपने राजस्व प्रवाह पर प्रतिबंध लगाकर लेन-देन आधारित राजस्व प्रवाह ।

* न्यूनतम समर्थन मूल्य(S.S.P.):- न्यूनतम समर्थन मूल्य वे है जो किसानों को यह सुनिश्चित कराते हैं कि अत्यधिक फसल उत्पादन के समय में मूल्य को इस स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा तथा इस मूल्य स्तर पर किसान स्वेच्छा से जितनी भी खाद्यान्न आपूर्ति सरकार को कराएंगे, सरकार उसे खरीदने के लिए वचनबद्ध है।